scheme, of which the foundation stone was laid by the hon. Chief Minister, been called for? Also has the land necessary for the purpose of the scheme been requisitioned? Is it a fact that on 25-11-72 the Chief Minister of West Bengal addressed a letter to Dr. K. L. Rao requesting him to find some funds by way of central assistance so as to quickly execute this scheme? If so, what is the reaction of Government and what was the reply sent by Dr. Rao to the Chief Minister, West Bengal?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : It is true the hon. Member, Shri Samar Guha, has been pressing for this scheme for a long number of years. The Government feel that this work must be done in order to give relief to the people who are living in that Barachauka jala area, which is about 1800 hectares. The fact that the Chief Minister has inaugurated it means that he will also find funds for its execution.

I do not have information whether the land has been acquired or not. The scheme involves work on the embankments, constructing sluices and desilting the Baghai river.

It is true the Chief Minister had asked for financial assistance for this work. I have written back saying that this is a small amount involved in this and this could be taken up by the State Government themselves. In any case, I requested him to start the work, and if they find any difficulty, they could write to the Planning Commission, with a copy to us, so that we could pursue it here.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : It is very clear from the reply of the hon. Minister that he requested the Chief Minister of West Bengal to go ahead with the scheme. Is it also a fact that the hon. Minister here has already given assurance that he will provide for the funds so that the Government of West Bengal could go ahead with the scheme not only to protect the 1800 hectares where crops are destroyed annually but to bnefit more than 10 to 15 times that land as a result of the scheme. To save the situation, I would also like to know whether even at this stage the Government of India will make certain special allocations to take up this Barachauka embankment scheme or the drainage scheme on a priority basis?

SHRI BALGOVIND VERMA : It is not correct to say that Government have given any sort of assurance to the West Bengal Government for the completion of this project. They certainly wrote to us for some financial assistance. So we wrote to them that if they so like—because it is a very small scheme—they can make an application to the Planning Ministry as well as the Finance Ministry and they may send a copy to us so that we may also take up their case with these Ministries. That is all that we can do, and nothing more. I think this is within the competence of the West Bengal Government to complete the work, because it is a very small amount.

SHRI A. K. M. ISHAQUE : Sir, since recently the Government has found out a very convenient answer that the West Bengal Government must find out its own resources to implement the schemes. Now, whatever scheme is assigned to the Government, the same pattern of reply is given. May I know if this is the only function of the Central Government, namely, to advise the local governments to find out their own resources, and may I know when this type of answer will stop and from when the Central Government will be giving real help for implementing these schemes?

SHRI BALGOVIND VERMA : Flood relief operations are the concern of the State Governments. Funds are provided in the Plan. We give them block grants and loans not attached to any particular scheme. It is not proper on the part of the West Bengal Government nor on the part of the hon. member to accuse us for the same. They can do so out of their own fund allotted for the purpose.

11.13 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ATROCITIES ON HARIJANS BY LANDLORDS AND POLICE IN BIHAR

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के जिला भोजपुर में चौरा गांव में चार हरिजनों और भूमिहीन

मजदूरों की जमींदारों तथा पुलिस द्वारा हत्या कर दिये जाने, वहां की हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने, लगभग सभी ग्रामवासियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिये जाने तथा जो ग्रामीण पुरुष जीवित रह गये थे उन्हें हिरासत में ले लिये जाने के समाचार की ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इन पर अपना वक्तव्य दें ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Sir, according to the information received from the State Government on 6th May, 1973, a police party which had reached village Choura, PS Sahar, district Bhojpur to arrest 14 persons wanted in connection with a case of dacoity under section 395 IPC was attacked by a mob, shouting Naxalite slogans and armed with deadly weapons. Several police personnel received injuries. In the course of the encounter, the police resorted to firing in which four persons—Sarvashri Lal Mohar Dusadh, Ganeshi Dusadh, Baleshwar Dusadh and Dinanath Sao—were killed and 21 others were injured. Some countrymade guns, live bombs, empty cartridges, two Naxalite red flags and huge quantities of lathis, garasas, spears, etc. were seized from different parts of the area. The police have registered a case and arrested 36 persons. Orders under section 144 Cr.PC have been promulgated and the situation is reported to be under control.

Government of Bihar have ordered the Commissioner, Patna Division to hold a detailed inquiry into the matter including the allegations regarding the circumstances leading to the incident and the justification for the use of force by the police. He has been, in particular, directed to inquire into the allegations that the incident was the outcome of an agrarian dispute relating to wages and that the police have wrongly described the incident as an encounter with Naxalites. The report of the Commissioner is awaited.

श्री शंकर दयाल सिंह : मान्यवर, देश के कई हिस्सों में इस तरह की दुखद, दर्दनाक और शर्मनाक घटनायें बराबर होती रहती हैं और उनके सम्बन्ध में इस सदन में कई बार विचार किया गया है । जब जब प्रान्तीय सरकारें उनको रोकने में असफल होती हैं तो अन्त में केन्द्रीय सरकार से हम इस बात की मांग करते हैं कि वह देखे कि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, भूमिहीनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको कम से कम केन्द्रीय सरकार संरक्षण दे । विगत 6 मई, को भोजपुर जिला, जो कि पहले शाहबाद जिला था,जिसने अनेकों क्रान्तकारी पैदा किये हैं, बाबू कुंवर सिंह जी को पैदा किया, हमारे रक्षा मंत्री उसी जिले से आते हैं, इसलिये उस जिले में खास कर इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसपर केन्द्रीय सरकार को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए , क्योंकि वह एक ऐसा जिला है, ऐसी धरती है, ऐसी भूमि है, जिसकी जमीन पवित्रता, जिसकी जमीन क्रान्ति, जिसकी जमीन देश को आवाहन देने के लिये प्रसिद्ध है, उस जमीन पर इस तरह की दर्दनाक घटना हो जाय तो मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को चुप नहीं रहना चाहिये ।

मान्यवर, सरकार की ओर से जो बयान आया है, मैं इसे बिल्कुल अविश्वसनीय दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि 6 मई, को जब यह दर्दनाक घटना घटी, उसके बाद अब तक उसकी एन्क्वायरी रिपोर्ट नहीं आई ? 6 मई को यह घटना घटी, पुलिस कमिश्नर को आपने एन्क्वायरी के लिये कहा, आपके पास एन्क्वायरी रिपोर्ट आई या नहीं आई, यदि आई है तो वह क्या है ?

[श्री शंकर दयाल सिंह]

मैं उस गांव में तो नहीं गया, लेकिन मैं उस जिले में गया था, मुझे मालूम हुआ है कि नक्सलवादियों का इसमें कोई हाथ नहीं है । पुलिस जब अपनी असमर्थता प्रकट करती है, अकर्मण्यता प्रकट करती है, जब कन्ट्रोल नहीं कर पाती, जब जुल्म रोक नहीं पाती, तो कई तरह के जामे पहन लेती है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप देखें---नक्सलवादियों की बू इसमें कहां से आती है ? अगर ये सब बातें गलत हैं तो तुरन्त उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करें---यह मेरी मांग है । क्योंकि जब कोई भी जुल्म हो, कोई बात हो तो आप यह नहीं कह सकते कि यह नक्सलवादियों ने किया है ।

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपकी रिपोर्ट के अनुसार 4 लोग मरे हैं, जब कि अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है इसमें क्या सच्चाई है? जिन की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को सरकार की ओर से क्या रियायत दी गई है, क्या राहत पहुंचाई गई है । क्योंकि मैं जानता हूं कि इन परिवारों के लोग ऐसे हैं जो खाने-पीने के लिये दाने-दाने के मोहताज हैं । जब वह अपना हक मांगते हैं, मजदूरी मांगते हैं शरण मांगते हैं तो उनको बदले में गोलियों का शिकार होना पड़ा । उनके बच्चों को भी पीटा गया, उनके घरों की महिलाओं के साथ जो अभद्र घटनायें हुई हैं, उसका जिक्र मैं इस सदन में नहीं करना चाहता ।

मान्यवर, बिहार के कई हिस्सों में इस तरह की घटनायें रोज-बरोज हो रही हैं । ला एण्ड आर्डर बिल्कुल मिटता चला जा रहा है । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं पिछले दिनों हजारी बाग की जो घटना हुई जिसकी इस सदन में भी चर्चा हुई थी, 10-15 दिनों तक वहां कर्फ्यू रहा, पुलिस कन्ट्रोल नहीं कर सकी, तब हमने आपसे अनुरोध किया कि उसको कन्ट्रोल करें । यह घटना देखने में छोटी सी घटना लगती है, लेकिन इतिहास में इसका काला धब्बा सदियों तक नहीं मिटाया जा सकता । इस लिये मैं आपसे दो तीन बातें जानना चाहूंगा :

पहला---पुलिस अफसर तथा अन्य जिन लोगों का इसमें हाथ है, उनके विरुद्ध सरकार ने अब तक कौन सी कार्यवाही की है, या केवल गरीबों को ही पुलिस सता रही है और इसमें सरकार गरीबों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि 6 तारीख को घटना हुई, पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट के लिए कहा तो उनकी रिपोर्ट आपके पास आई या नहीं आई ? आई है तो कौन सी रिपोर्ट आई है ?

तीसरी बात यह कि उन परिवारों को आपने राहत पहुंचाई या नहीं ? यदि नहीं पहुंचाई तो आप क्या राहत उन्हें देने जा रहे हैं ?

इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह की जो घटनायें होती हैं उनको आप यह मत समझें कि यह बिल्कुल छोटी-सी फुंसी या फोड़ा है बल्कि यह नासूर भी बन सकता है, समाज में यह विभीषिका भी पैदा कर सकता है । जिस तरह से एक छोटी-सी चिंगारी आग फैला सकती है उसी रूप में इसका परिणाम भी हो सकता है । उस रूप में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई मंत्री वहां पर जायें और चश्मदीद गवाहों और गांव वालों से मिलकर उनके बयान लेकर उन लोगों के दुख-दर्द को समाप्त करें ।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने कहा कि कमिश्नर की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं मिली है उसके सम्बन्ध में यह कहना है कि कमिश्नर सारे तथ्यों की जांच करेगा जिसमें मुख्य रूप से यह भी है कि पुलिस का तो

यह कहना है कि नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ हुई लेकिन कमिश्नर से खासतौर से पूछा गया है कि इस बात की जांच करें कि यह जो बात कही जाती है कि नक्सलवादियों के साथ झगड़ा हुआ क्या वह सही है और साथ ही इस बात की भी जांच करें कि भूमिहीनों का झगड़ा या भूमि सुधार की बात का सम्बन्ध या किसी प्रकार के अत्याचार का सम्बन्ध तो नहीं है। इसलिए इस बात को विशेष तौर से कमिश्नर से कहा गया है कि वह जांच करें कि कौन सी कथन सही है। मैं आशा करता हूं कि कमिश्नर की रिपोर्ट अवश्य इस तथ्य पर प्रकाश डालेगी और हम यह भी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके कमिश्नर की रिपोर्ट आये ताकि तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी मालूम हो सके।

जहां तक पुलिस को निलंबित करने या और कोई कार्यवाही करने का प्रश्न है, यह तब किया जा सकता है जबकि उस रिपोर्ट से मालूम हो कि पुलिस ने कोई ज्यादती की है और किस तरह से की है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक कमिश्नर की रिपोर्ट न आये तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि किन पुलिस वालों ने ज्यादती की।

जहां तक मृतकों के परिवारों की सहायता का सम्बन्ध है, इस विषय में हमने राज्य सरकार से कहा है कि उनको कुछ आवश्यक तात्कालिक सहायता दें ताकि जो भी नुकसान हुआ है —नुकसान तो बहुत है, थोड़े पैसे से उसमें क्या हो सकता है लेकिन फिर भी तात्कालिक सहायता अवश्य दी जाये।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैंने यह पूछा था सरकार से कि कोई यहां से वरिष्ठ अधिकारी जाकर जांच करे क्योंकि जैसा मैंने कहा है वहां के बड़े पुलिस आफिसर अपने पुलिस वालों को बचा ही लेंगे और यह कह देंगे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। इसलिए मैं खासतौर से जानना चाहता हूं कि क्या आप केन्द्र से किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच करने के लिए वहां भेजेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : कमिश्नर की जांच चल रही है उसके अलावा भी हम एक वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले की जांच के लिए भेजेंगे जोकि हमको अपनी रिपोर्ट दे सके।

श्री साधू राम (फिल्लौर) : स्पीकर साहब, इस घटना के मुत्तालिक मेरे पास बिहार से लैटर आया है। वहां के तीन एम० एल० एज० ने दूसरे दिन जाकर इंक्वायरी की है और उन्होंने रिपोर्ट मेरे पास भेजी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह जो आदमी मारे गये हैं, जब उन्होंने घरों के दरवाजे बन्द कर लिये तो दरवाजे तोड़ कर घरों से घसीट कर उनको बाहर निकाला गया और गोली से मार दिया गया। यह मेरे पास महावीर पास्वान, जगदेव राम एम० एल०ए० वगैरह तीन आदमियों की रिपोर्ट है जिन्होंने दूसरे दिन मौके पर जाकर तहकीकात की है। 14 आदमी पुलिस ने गिरफ्तार किये हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि डी० एस० पी० के० पी० सिंह की साजिश से यह सारा का सारा मामला रचा गया है। 26-4-73 को चावलों की चोरी का केस बनाया गया, उसके बारे में तहकीकात करने के लिए गांव के बड़े-बड़े लैंड लार्डों को साथ लेकर उस मोहल्ले में गये और जाकर वे सबको मारना-पीटना शुरू कर दिया, उन लोगों के बयान लिए बिना ही, उनसे कुछ पूछे बिना ही उनको मारना-पीटना शुरू कर दिया। उनके बच्चों और औरतों को भी बुरी तरह से मारा। उसके बाद एक आदमी, जिसकी मां ने बयान दिया है कि मेरे बेटे दीनानाथ ने अन्दर से दरवाजा बन्द कर के छिप गया था लेकिन पुलिस वालों और लैंड वालों ने दरवाजा

तोड़ कर उसको बाहर निकाला और गोली से मार दिया । इसी प्रकार से लाल मोहर पासवान को घर से घसीटकर राम स्वरूप राय के मकान पर, जोकि एक लैंड लार्ड है, ले जाया गया और सभी लोगों के सामने गोली से मार दिया गया । तो इस तरह से यह जो सात आदमियों को मारने का वाकया है वह बड़ा शर्मनाक है और इससे देश में यह ख्याल पैदा हो गया है कि हरिजनों को बिना वजह बहाना बनाकर कि यह नक्सलाइट हैं, मारा जा रहा है । दरअसल किस्सा यह था, जैसा एम० एल० एज० ने अपनी रिपोर्ट दी है, यह मजदूरी का झगड़ा था—लैंडलार्डस कहते थे मजदूरी इतनी नहीं देंगे और वे कहते थे कि इतनी मजदूरी लेंगे और इसलिए झगड़ा हुआ। चोरी का केस खाहमखाह बनाया गया और उसके बाद डी० एस० पी० को रिश्वत दी गई लैंडलार्ड ने पैसा इकट्ठा किया। सारे गांव को पता है कि पैसा इकट्ठा करके डी० एस० पी० को रिश्वत दी गई और उसको साथ ले जा करके और पुलिस को साथ लेजा कर के यह सारा वाकया हुआ । यह बहुत ही अजीब वाकया हुआ है, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद अब तक ऐसा वाकया देखने को नहीं मिला । सारे हिन्दुस्तान में इस वक्त मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में और दूसरी स्टेट में हर जगह वाकये हो रहे हैं और अगर हमारे देश की गवर्नमेन्ट हरिजनों और गरीबों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, माइनारिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, लोगों को मरने से नहीं बचा सकती तो मैं समझता हूं यह देश अच्छी हालत में नहीं चल सकता है । यह कौन सी डिमोक्रेसी है जब इस तरह से अन्धेर मचा हुआ है ? वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेन्ट है लेकिन मैं उसके लिए क्या कहूं कि अभी तक होम मिनिस्ट्री के पास इस बात की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है । वहां पर इतनी हत्यायें हुईं, इतना बड़ा काण्ड हुआ लेकिन अभी तक होम मिनिस्ट्री के पास पूरी रिपोर्ट नहीं है कि वहां पर यह वाकया कैसे हुआ । इसलिए मैं चाहता हूं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट यहां से किसी बड़े अफसर को तैनात करे या फिर होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर ही हिां पर जायें और जांच करके उन लोगों को सजा दें वरना आज देश भर में इस बात पर एक बड़ा आन्दोलन हो रहा है मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि उन लोगों को आप प्रोटेक्शन दें ।

श्री राम निवास मिर्धा : इस क्षेत्र में पहले से जमीन और मजदूरी के कुछ झगड़े होते रहे हैं और इस तरह से वहां पर काफी तनाव था । अब जो माननीय सदस्य ने कहा है कि बिहार विधान सभा के तीन सदस्यों ने रिपोर्ट दी है तो एक दो सदस्यों के पत्र मेरे पास भी आये है जिन पर हम जांच करवा रहे हैं, वहां सरकार के पास भेजा है और माननीय सदस्य भी वह रिपोर्ट दे दें तो उसके बारे में हम जांच करवा लेंगे । जहां तक जांच का सवाल है, वह तो प्रशासनिक तरीके से राज्य सरकार ही करेगी । भारत सरकार इस सम्बन्ध में जो भी कर सकती है वह हम अवश्य करेंगे । हमारे अफसर जाकर जांच करेंगे, उसमें राज्य सरकार की कुछ मदद भी चाहिए और उससे हम सारी बात करेंगे लेकिन जहां तक सारी कार्यवाही केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का प्रश्न है, सदन स्वयं परिचित है कि यह सम्भव नहीं है । राज्य सरकार का तो प्रशासन है उसको हटाकर हम स्वयं वहां कुछ सीमा तक ही कार्य कर सकते हैं लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने तत्परता के साथ कमिश्नर को जांच करने का आदेश दिया है और उन सभी तथ्यों की जांच करने का आदेश दिया है जिनका कि उल्लेख किया गया, उसका नतीजा ठीक ही निकलेगा ।

श्री भोला राउत (बेगहा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कालिंग अटेन्शन का नोटिस दिया था लेकिन मेरा नाम बैलट में नहीं आ सका है । नक्सलाईट कह कर इस बात को बिहार सरकार छिपा रही है, मैं सही बात आपके सामने रखना चाहता हूं इसलिए आप मुझे भी कहने का मौका दे दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मैंने नहीं बुलाया है । आपका इसमें नाम नहीं है । रूल्स के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं ।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Only two of the members whose names were listed here were present. Further it is the last day. So, kindly be a little indulgent.

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि रूल्ज क्या हैं । जिनके नाम बैलट में आये हैं, सिर्फ वही बोल सकते हैं । अगर मैं आज यह बात मान लेता हूं, तो फिर वह रोज चलेगी । तब माननीय सदस्य ही एतराज करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप का नाम बैलट में नहीं आया है ।

I am sorry, I am not allowing it.... (*Interruptions*) Please sit down now. I am sorry. I very much wish I would have allowed it, but the rules come in the way.

11.32 Hrs.

QUESTIONS OF PRIVILEGE—*Contd.*

(i) NEWS REPORT PUBLISHED IN INDIAN EXPRESS, BOMBAY EDITION, DATED 30TH APRIL, 1973 ALLEGEDLY CASTING REFLECTIONS ON MEMBERS

MR. SPEAKER : I have to refer to certain privilege motions because the House adjourns *sine die* today.

First I will refer to the one about the use of the words "goonda" and "goondai". On the 3rd May, 1973, Shri K. P. Unnikrishnan sought to raise a question of privilege in the House in respect of the following news report published in the *Indian Express*, Bombay Edition, dated the 30th April, 1973. Before taking any action in the matter, we called for their explanation. The news item reads :

> "Mr. Limaye said (in a public meeting at Bombay) the Prime Minister had a 'ring of goondas' among the MPs who shouted down the Opposition Members whenever they rose to speak. This happened even when the Prime Minister herself remained present in the House, he added."

I am sorry the words "goonda" and "goondai" are finding their place in the parliamentary proceedings through some source or other. I cannot help it.

Shri Madhu Limaye had then denied having used the word "goondas" as reported in the above news report.

I had then said that the concerned newspaper would be asked to state what it had to say in the matter, as the convention goes. The Editor of the *Indian Express*, in his letter dated the 7th May, 1973, has stated as follows :—

> "At the outset I take the full legal and moral responsibility for what has appeared in the Bombay edition of the *Indian Express* dated 30th April, 1973 regarding the speech of Shri Madhu Limaye at Bombay.
>
> Our staff reporter maintains that the report which he has given is a correct translation of what he heard Mr. Madhu Limaye say at the meeting in question.
>
> It is just possible that our reporter misheard what Mr. Madhu Limaye said. Such misreporting does sometimes occur having regard to the conditions under which reporters work".

It is very meaningful and interesting. Further, he says :

> "I may assure you that there was no intention on the part of either the reporter or the sub-editor who handled the report to commit any breach of privilege of the Members of the House. I may also mention that in view of Mr. Limaye's attitude to the ruling party and the strong language he had used against the Government and the Prime Minister in some of his other statements, no one in the editorial department had any